16-5-15

पार्टीगण एवं अधिवक्ता गण को होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि इस T.I. प्रार्थना पत्र को भूल में लिख कर दिया था इसलिये T.I. प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नहीं रहता इसलिये T.I. प्रार्थना पत्र को वापस करने का श्रम करावें इस पर हमारे तल्ला बताकर पार्टीगण एवं अधिवक्ता को सुनाकर विधि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर T.I. प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता। इस बाबत सम्बन्धित को सेवानार्थ नकल जारी हो। पत्रावली पैरवी हेतु दर होकर दर्ज रजिस्टर से कम होकर मोहरा अले न्यायालय से सुनाया जाता।

उपखण्ड अधि.
सांभर लेक

गोविन्द राम मीणा

रामेश्वर राम मीणा

मनमोहन सैनी

Identified
Advocate

Identify
Advocate

No objection